क्रमांक

06/07/2020 प्रार्थी पार्टी ग्रामसभा द्वारा अपीय वकील श्री विजय कुमार पण्डित पेश हुए मिसल सरसरी स्वीकार किये जाने पर सरसरी सुनी गई। पार्टी ग्रामसभा ने एक पेश पत्र इस आशय का पेश किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इसी स्तर पर खारिज करवाना चाहते थे। पार्टी द्वारा पेश पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी कमल भुगाड़ होकर नगर में काबिज व काबिज दखलकार है।

21

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.10.14 14:49:00 IST
Reason: SelfAttested